हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मिला मातृत्व अवकाश का पूरा वेतन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान शासन ने अदालत को अवगत कराया कि जिला अस्पताल कबीरधाम में पदस्थ संविदा स्टाफ नर्स को मातृत्व अवकाश अवधि का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया है।

यह फैसला प्रदेश की हजारों महिला संविदा कर्मियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि

मामला सीधे तौर पर महिला सम्मान और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ था।

यह था मामला

याचिकाकर्ता स्टाफ नर्स राखी वर्मा ने 16 जनवरी 2024 से 16 जुलाई 2024 तक मातृत्व अवकाश लिया था। 21 जनवरी को उन्होंने कन्या संतान को जन्म दिया और 14 जुलाई को पुन: कार्यभार ग्रहण किया। अवकाश विधिवत स्वीकृत होने के बावजूद शासन ने उस अवधि का वेतन नहीं दिया। जबकि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में मातृत्व अवकाश वेतन का स्पष्ट प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने पहले रिट याचिका और आदेश पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की।

कोर्ट ने बरती सख्ती

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने शासन से कड़े शब्दों में पूछा था कि आदेश के बावजूद अब तक वेतन भुगतान क्यों नहीं किया गया। अदालत ने टिप्पणी की थी कि यह मामला केवल आर्थिक अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि महिला सम्मान और गरिमा का भी प्रश्न है। सोमवार को हुई सुनवाई में शासन ने कोर्ट को जानकारी दी कि याचिकाकर्ता को मातृत्व अवकाश की अवधि का वेतन दे दिया गया है। इसके साथ ही अवमानना याचिका का निष्कर्ष निकल आया।

महिला कर्मचारियों की बड़ी जीत

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने कहा कि, यह केवल एक महिला स्टाफ नर्स की जीत नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की उन महिला संविदा कर्मियों की जीत है, जिन्हें वर्षों से मातृत्व अवकाश वेतन को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा था। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मातृत्व अवकाश महिला कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है, चाहे उनकी नियुक्ति नियमित हो या संविदा।